



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112024-258904
CG-DL-E-25112024-258904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4664]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2024/अग्रहायण 4, 1946

No. 4664]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2024/AGRAHAYANA 4, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2024

का. आ. 5054(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एस के ए एन रिसर्च ट्रस्ट (पैन: ABBTS4312B) को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'अनुसंधान संगम' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख (अर्थात् पूर्व वर्ष 2024-25 से) से लागू होगी तथा तदनुसार निर्धारण वर्षों 2025-26 से 2029-30 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 121/2024/फा.सं. 203/02/2024/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2024

S.O. 5054(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves **SKAN Research Trust (PAN: ABBTS4312B), Bengaluru** under the category of **‘Research Association’** for **‘Scientific Research’** for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall apply with effect from the date of publication in the Official Gazette (i.e. from the Previous Year 2024-25) and accordingly shall be applicable for Assessment Years 2025-26 to 2029-30.

[Notification No. 121/2024/F. No. 203/02/2024/ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification.